

गरीब हकम

हकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

नम्बर व गरीब

बाद पत्र संख्या 113 / 2019 GCMS NO 2019/00228

अफिस की हकम

उन्वानी भागीरथ सिंह आदि व नाम गोबिन्द सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

हकम की गारंटी
में जारी हूँ।

05/08/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं
आये। पत्रावली में पुनर्वाह हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को
आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान
हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय
समय तक रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके
उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। उभय
पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही उभय पक्षकारान
की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अल बादीगण का हस्तगत
बाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
दर्ज नम्बर से कम होकर नाश्चिल नकलर हो।



(सचिवालय भाग)

उपस्थान्त अफिसकारी एवं

गठन सहायक कलक्टर स्वतन्त्री

जिला सीमाकाशीना (रा. गौ.)

उपस्थान्त अफिसकारी, स्वतन्त्री